7

मुख्त्यार कौर उर्फ रणजीत कौर बनाम स्टेट

प्र. सं. 181/2025 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

वाद पत्र 88 RTA

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

25 पत्रावली आज पेशी में ली गई। वादी द्वारा वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 RTA में पेश कर याचित किया गया है कि चक 8 SSW खाता सं. 268/188 में वादी का नाम मुखत्यार कौर पुत्री मंगल सिंह दर्ज रिकॉर्ड है जबकि वादिया का सही नाम मुखत्यार कौर उर्फ रणजीत कौर पुत्री मंगल सिंह है इसी अनुसार नाम दुरुस्ती किये जाने का निवेदन किया गया।

वाद पत्र रजिस्टर दर्ज किया गया व तहसीलदार हनुमानगढ से मौका Report तलब की गई। तहसील पत्रांक भू. अ./2025/2730 दिनांक 24/7/2025 द्वारा अवगत करवाया गया है कि मुताबिक रिपोर्ट मजमें आम मुखत्यार कौर उर्फ रणजीत कौर एक ही महिला के नाम है। वादिया द्वारा तस्दीक सरपंच ग्राम पंचायत झाम्बर पेश किया जिसमें एक ही महिला के उक्त दोनों नाम होने का अंकन किया है। वादिया द्वारा पहचान पत्र (मतदाता), जन आधार कार्ड, आधार कार्ड पेश किये जिसमें वादिया का नाम रणजीत कौर दर्ज है। अतः उक्त दस्तावेजों व तहसील रिपोर्ट अनुसार वाद पत्र स्वीकार किया जाता है व आदेश है कि चक 8 SSW खाता सं. 268/188 में दर्ज खातेदार मुखत्यार कौर के आगे उर्फ रणजीत कौर जोड़ा जावे। शेष प्रविष्टि यथावत रहे। आदेश सुनाया जाकर पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी हनुमानगढ